खंड-क

मंत्रालय / विभाग

अध्याय II

दूरसंचार विभाग

2.1 टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड (टी सी एल) से लाइसेंस प्रभार की कम उगाही

2006-07 से 2017-18 की अवधि के लिये टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड (टी सी एल) के एन एल डी, आई एल डी और आई एस पी-आई टी लाइसेंस से संबंधित राजस्व शेयर में टी सी एल द्वारा जी आर और ए जी आर ₹13,252.81 करोड़ कम बताया गया, जिसके परिणामस्वरुप ₹950.25 करोड़ के एल एफ की कम उगाही की गई। देय एल एफ में से ₹305.25 करोड़ के डी ओ टी आंकलन की कटौती के बाद, डी ओ टी द्वारा टी सी एल से मांगा गया लाइसेंस प्रभार ₹645 करोड़ कम था, जिसकी मांग और उगाही की जानी चाहिए।

2.1.1 प्रस्तावना

दूरसंचार विभाग (डी ओ टी) विभिन्न दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न सेवा प्रदाताओं (एस पी) के साथ लाइसेंस करार करता है। ये करार वार्षिक लाइसेंस प्रभार के भुगतान सहित दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान के लिए नियम और शर्तें निर्धारित करते हैं। राजस्व शेयरिंग व्यवस्था (अगस्त 1999) की शुरूआत के बाद, लाइसेंसधारी कंपनियों/ एस पी को लाइसेंस प्राप्त सेवा के लिए रिपोर्ट किए गए समायोजित सकल राजस्व (ए जी आर) के सहमत प्रतिशतता पर दूरसंचार विभाग को वार्षिक लाइसेंस प्रभार (एल एफ) का भुगतान करना आवश्यक है। डी ओ टी द्वारा जारी लाइसेंस करार में सकल राजस्व (जी आर), कटौती और समायोजित सकल राजस्व (ए जी आर) को परिभाषित किया गया है।

सरकार को भुगतान किए गए राजस्व साझा की सटीकता और पूर्णता यह सुनिश्चित करने पर निर्भर है कि एस पी द्वारा जी आर/ए जी आर की गणना लाइसेंस शर्तों के अनुसार की जाती है और डी ओ टी के पास इसकी सत्यता को सत्यापित/आकलित करने के लिए सिस्टम हैं। जी आर के आकलन और देय राजस्व शेयर की अंतिम गणना की जिम्मेदारी दूरसंचार विभाग में लाइसेंस वित्त (एल एफ) विंग की है, जो लेखापरीक्षित ए जी आर और पी एस पी से प्राप्त रिपोर्ट/समायोजित विवरण के आधार पर आकलन करता है।

एस पी द्वारा भुगतान किया गया एल एफ सरकार की राजस्व प्राप्तियों को तैयार करता है। इस प्रकार, एस पी द्वारा किए गए भुगतानों के डी ओ टी द्वारा किए गए सत्यापन के अलावा, एल एफ प्राप्तियां भी नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के तहत सी ए जी द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन हैं । इसके अलावा, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, सेवा प्रदाता (लेखों और अन्य दस्तावेजों का रखरखाव) नियम, 2002 भी सी ए जी द्वारा एस पी से भुगतान किए गए एल एफ की

लेखापरीक्षा को अनिवार्य करता है। अतीत में, कुछ निजी सेवा प्रदाताओं (पी एस पी)[2] द्वारा वर्ष 2006-07 से 2014-15 के दौरान भुगतान किए गए राजस्व शेयर/ एल एफ की लेखापरीक्षा सी ए जी द्वारा की गई थी और उसके निष्कर्षों को 2016 की रिपोर्ट संख्या 4 और 2017 की रिपोर्ट संख्या 11 और 35 में प्रतिवेदित किया गया है।

2.1.2 टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड (टी सी एल) का एल एफ मूल्यांकन

2.1.2.1 टी सी एल का लाइसेंस धारण

टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड (टी सी एल)[3] दूरसंचार सेवाओं की एक श्रृंखला प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्राप्त एक एस पी है नामतः अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी (आई एल डी) और राष्ट्रीय लंबी दूरी (एन एल डी) लाइसेंस के तहत अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय वॉयस ट्रैफिक और डेटा यातायात, और इंटरनेट सेवा प्रदाता-आईटी (आई एस पी-आई टी) लाइसेंस के तहत इंटरनेट सेवाएं। इसने 2002 से आई एल डी और एन एल डी लाइसेंस और 1999 से आई एस पी-आई टी लाइसेंस धारण किया है। इन लाइसेंस करार की शर्तों के अनुसार, सभी सेवा प्रदाताओं की तरह टी सी एल को डी ओ टी को वार्षिक लाइसेंस प्रभार (एल एफ) का भुगतान करना आवश्यक है, जो प्रत्येक लाइसेंस प्राप्त सेवा के लिए रिपोर्ट किए गए समायोजित सकल राजस्व (ए जी आर) का एक निर्दिष्ट प्रतिशत थी । इस प्रकार, एल एफ, आई एल डी, एन एल डी और आई एस पी-आई टी लाइसेंस करार में परिभाषित सकल राजस्व (जी आर), कटौती और समायोजित सकल राजस्व (ए जी आर) पर निर्भर है।

2.1.2.2 टी सी एल के आई एल डी, एन एल डी और आई एस पी-आई टी लाइसेंस के लिए लागू सकल राजस्व, समायोजित सकल राजस्व और लाइसेंस प्रभार

आई एल डी, एन एल डी और आई एस पी (आई टी) करार में दिखाई देने वाले जी आर और ए जी आर की परिभाषा इस प्रकार है:

(i) अंतर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी (आई एल डी)

जी आर में आपूर्ति की गई वस्तुओं, प्रदान की गई सेवाओं, बुनियादी ढांचे को पट्टे पर देने, दूसरों द्वारा इसके संसाधनों का उपयोग, आवेदन प्रभार, स्थापना प्रभार, कॉल प्रभार, विलंब प्रभार, उपकरणों की बिक्री से प्राप्त आय (या एक्सेसरीज सहित किसी भी टर्मिनल उपकरण)

---

[2] भारती एयरटेल लिमिटेड और भारती हेक्साकॉम लिमिटेड, वोडाफोन इंडिया लिमिटेड, रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड और रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड, आइडिया सेल्युलर लिमिटेड और आदित्य बिड़ला टेलीकॉम लिमिटेड, टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड और टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र) लिमिटेड, एयरसेल ग्रुप (डिशनेट वायरलेस लिमिटेड, एयरसेल लिमिटेड, एयरसेल सेल्युलर लिमिटेड), सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लिमिटेड और श्याम इंटरनेट सर्विसेज लिमिटेड, टेलीनॉर (इंडिया) कम्युनिकेशन लिमिटेड, वीडियोकॉन टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड, क्वाड्रेंट टेलीवेंचर्स लिमिटेड, रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

[3] पहले विदेश संचार निगम लिमिटेड (वी एस एन एल) के नाम से जाना जाता था।

लाइसेंसधारी को होने वाले सभी राजस्व शामिल होंगे। हैंडसेट, बैंडविड्थ, मूल्य वर्धित सेवा से आय, पूरक सेवाएं, एक्सेस या इंटरकनेक्शन, प्रभार, बुनियादी ढांचे आदि को किराए पर लेने के लिए कोई पट्टा या किराया प्रभार, आदि और संबंधित व्यय के लिये बिना किसी समायोजन के ब्याज, लाभांश आदि सहित कोई अन्य विविध मद आदि। एल एफ को राजस्व के प्रतिशत के रूप में उगाही के उद्देश्य से ए जी आर, का अर्थ निम्नलिखित घटाकर जी आर से कम होगा

- ❖ कॉल के लिए अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को वास्तव में भुगतान किए गए कॉल प्रभार (एक्सेस प्रभार);
- ❖ सेवा और बिक्री कर के प्रावधान के लिए सेवा कर वास्तव में सरकार को भुगतान किया जाता है यदि सकल राजस्व में बिक्री कर और सेवा कर के घटक शामिल हो

(ii) राष्ट्रीय लम्बी दूरी (एन एल डी)

राजस्व के प्रतिशत के रूप में एल एफ की उगाही के प्रयोजन के लिए राजस्व का अर्थ होगा लाइसेंस के तहत एन एल डी सेवा प्रदान करने के माध्यम से लाइसेंसधारी को अर्जित सकल कुल राजस्व/आय जिसमें पूरक/मूल्य वर्धित सेवाओं और बुनियादी ढांचे के पट्टे पर राजस्व ब्याज, लाभांश आदि शामिल है, जैसा कि "पास-थ्रू प्रकृति के घटक भाग" द्वारा घटाया गया है, जो अन्य सेवा प्रदाताओं को देय है, जिनके नेटवर्क पर कॉल के लिए लाइसेंसधारी का नेटवर्क परस्पर जुड़ा हुआ है। जी आर में पिछले डेबिट भी शामिल होंगे (उदाहरण के लिए पूर्व के वर्षों में प्रावधानों से अधिक वसूले गए अशोध्य ऋण)। इसके अलावा, लाइसेंसधारी के ग्राहकों से एकत्र और सरकार को दिये गये सेवा कर और बिक्री कर राजस्व का हिस्सा नहीं होगा।

(iii) इंटरनेट सेवा प्रदाता-आई टी (आई एस पी-आई टी)

सकल राजस्व में इंटरनेट एक्सेस सेवा, इंटरनेट सामग्री सेवा, इंटरनेट टेलीफोनी सेवा, स्थापना प्रभार, विलंब प्रभार, टर्मिनल उपकरण की बिक्री आय, ब्याज से प्राप्त राजस्व, लाभांश, मूल्य वर्धित सेवाएं, पूरक सेवाएं, बुनियादी सेवाओं के अनुमत शेयरिंग से प्राप्त राजस्व शामिल होगा और कोई अन्य विविध राजस्व, व्यय की संबंधित मद आदि के लिए बिना किसी समायोजन के, शामिल होगा। ए जी आर प्राप्त करने के उद्देश्य से निम्नलिखित को जी आर से बाहर रखा जाएगा।

- ❖ इंटरनेट एक्सेस, इंटरनेट सामग्री और इंटरनेट एक्सेस संबंधी इंस्टॉलेशन प्रभार
- ❖ सेवा और बिक्री कर के प्रावधान पर सेवा कर वास्तव में सरकार को भुगतान किया जाता है यदि सकल राजस्व में बिक्री कर और सेवा कर के घटक शामिल हो।

01 अप्रैल 2006 से 2017-18 तक सभी तीन लाइसेंसों के लिए देय एल एफ की दर **तालिका 2.1** में दी गई थी।

तालिका 2.1: लाइसेंस के प्रकार और लागू दरें

लाइसेंस का प्रकार		2006-07 से 2011-12	2012-13		2013-14 से 2017-18
			01.04.12 से 30.06.12	01.07.12 से 31.03.13	
एन एल डी	अखिल भारतीय	6%	6%	7%	8%
आई एल डी	अखिल भारतीय				
आई एस पी आई टी	सभी सेवा क्षेत्र				

2.1.3 लेखापरीक्षा का औचित्य, कार्यप्रणाली, कार्यक्षेत्र और मानदंड

टी सी एल के मामले में एल एफ/ राजस्व शेयरिंग के निर्धारण की लेखापरीक्षा 2014-15 में अन्य पी एस पी की लेखापरीक्षा के साथ नहीं की जा सकी, क्योंकि कंपनी ने लेखापरीक्षा को आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए और इस दलील पर उनके परिसर में लेखापरीक्षा से इनकार कर दिया कि एक आई एल डी, एन एल डी और आई एस पी सेवाप्रदाता[4] होने के नाते सुप्रीम कोर्ट का 17 अप्रैल 2014 का फैसला उन पर लागू नहीं था। परिणामस्वरूप, डी ओ टी लाइसेंसधारी के रूप में वर्ष 2006-07 से 2017-18 के लिए मैसर्स टी सी एल के एल एफ के निर्धारण की लेखापरीक्षा अक्टूबर 2017/ जनवरी 2018 और जुलाई 2019 के दौरान डी ओ टी मुख्यालय में की गई थी। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के तहत लेखापरीक्षा अन्य पी एस पी के लिए "राजस्व शेयर लेखापरीक्षा" की तरह की गई थी।

यह लेखापरीक्षा एस पी द्वारा दूरसंचार विभाग को प्रस्तुत किए गए लेखापरीक्षित ए जी आर विवरणियों, समाधान विवरणों, लाभ-हानि खातों तथा तुलन पत्र की जांच पर आधारित थी। अवधि के लिए डी ओ टी के जी आर, ए जी आर और एल एफ के आकलन की भी जांच की गई। लेखापरीक्षा ने 2006-07 से 2017-18 की अवधि और सभी तीन लाइसेंसों के तहत देय एल एफ को कवर किया अर्थात एन एल डी, आई एल डी और आई एस पी-आई टी लाइसेंस। लेखापरीक्षा समय-समय पर संशोधित लाइसेंस करार के प्रावधानों और एल एफ और स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार के संग्रह पर डी ओ टी द्वारा जारी निर्देशों के संदर्भ में की गई थी।

2.1.4 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2006-07 से 2017-18 की अवधि के लिए मैसर्स टी सी एल के अभिलेखों (लेखापरीक्षित ए जी आर विवरण और साथ में समायोजित विवरण, लाभ और हानि खाते और तुलन पत्र) की

[4] राजस्व साझेदारी की शर्तें सभी लाइसेंसधारियों पर लागू होती हैं अर्थात मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के साथ-साथ इंटरनेट सेवा प्रदाता आदि।

लेखापरीक्षा जांच से प्राप्त निष्कर्ष, जो उनके द्वारा डी ओ टी को प्रस्तुत किए गए हैं, अनुवर्ती पैराग्राफ में हैं।

2.1.4.1 जी आर/ ए जी आर की गणना से "दूरसंचार सेवाओं से राजस्व और अन्य/ विविध आय" को हटाना

इस लेखापरीक्षा के तहत कवर की गई अवधि के दौरान, यह देखा गया कि टी सी एल ने तीन लाइसेंसों के जी आर/ ए जी आर की गणना करते समय दूरसंचार सेवाओं और "अन्य/ विविध आय" से अर्जित राजस्व को शामिल नहीं किया था।

(i) जी आर की गणना से राजस्व को हटाना

लेखापरीक्षा को प्रदान किए गए टी सी एल के अभिलेखों की जांच से पता चला कि लेखापरीक्षा द्वारा कवर की गई अवधि के दौरान, जबकि टी सी एल ने अपने लेखों में आय के रूप में ₹5,048.52 करोड़ का हिसाब लगाया था (जिसमें "डार्क फाइबर" आय, डेटा सेंटर सेवाओं से राजस्व, ग्राहक परिसर उपकरण की बिक्री और किराये से आय, कंपनी के हाइव्ड ऑफ रिटेल व्यापार उपक्रम से संबंधित आय, प्रबंधन कंसल्टेंसी सर्विसेज से आय, आईपी सेवाओं से राजस्व, ट्रांसपोंडर पट्टों से आय, टेलीविजन अप-लिंकिंग से आय, नियोटेल[5] से बिलिंग और सहायता सेवाओं से राजस्व, बिजनेस मैसेजिंग सर्विसेज, ऑडियो वेब कॉन्फ्रेंसिंग शामिल है), लेकिन कंपनी ने इन राजस्व और आय को आई एल डी, एन एल डी और आई एस पी-आई टी लाइसेंस के जी आर/ ए जी आर की गणना के उद्देश्य से अर्जित राजस्व के रूप में शामिल नहीं किया था। यह लाइसेंस करार का उल्लंघन था जो देय एल एफ के निर्धारण के उद्देश्य से जी आर/ ए जी आर की गणना के लिए लाइसेंसधारी को अर्जित "सभी राजस्व और आय" पर विचार करने के लिए प्रदान किया गया था।

(ii) *"अन्य और विविध" आय को हटाना*

उपरोक्त के अलावा, टी सी एल ने अपने खातों में "ब्याज आय", "आयकर वापसी पर ब्याज", "लाभांश आय", "वर्तमान निवेश की बिक्री पर लाभ", " लंबी अवधि के निवेश की बिक्री पर लाभ", "स्थिर संपत्तियों की बिक्री पर लाभ", "किराये की आय", "विनिमय लाभ", "विविध आय", "सहायक कंपनियों से आय की गारंटी" और कुछ वैधानिक दायित्वों के खिलाफ इनपुट क्रेडिट शीर्षों के अंतर्गत ₹6,634.25 करोड़ जोड़ा था। यद्यपि लाइसेंस करार में एल एफ गणना के उद्देश्य से जी आर/ ए जी आर की गणना के लिए आय के यह सभी मद शामिल थे। मैसर्स टी सी एल ने अपने आई एल डी, एन एल डी और आई एस पी-आई टी लाइसेंस के जी आर/ ए जी आर की गणना के लिए लेखापरीक्षा द्वारा कवर की गई अवधि के दौरान अर्जित इस आय को शामिल नहीं किया था।

---

[5] नियोटेल पहले एस एन ओ दूरसंचार था, और दक्षिण अफ्रीका में स्थिर लाइन दूरसंचार सेवाओं के लिए दूसरा राष्ट्रीय ऑपरेटर (एस एन ओ) था।

यद्यपि टी सी एल ने नियमित रूप से लेखापरीक्षित ए जी आर पर स्व-निर्धारण के आधार पर एल एफ बकाया का भुगतान किया था, 2006-07 से 2017-18 की अवधि से संबंधित राजस्व और आय की उपरोक्त मदों को शामिल न करने के परिणामस्वरूप, जी आर/ ए जी आर की विवरणी में ₹11,682.77 करोड़ की कम गणना हुई और सरकार को ₹847.01 करोड़ के एल एफ की कम उगाही/ भुगतान हुआ।

2.1.4.2 जी आर में इंटरनेट सेवाओं से राजस्व पर विचार न करना

आई एस पी (आई टी) लाइसेंस के तहत सकल आय की परिभाषा में प्रावधान है कि जी आर में इंटरनेट एक्सेस सेवा, इंटरनेट सामग्री सेवा, व्यय की संबंधित मद के लिये बिना किसी समायोजन के इंटरनेट टेलीफोनी सेवा, आदि राजस्व में शामिल होगा। इसके अलावा जी आर से ए जी आर तक पहुंचने के लिए अनुमेय कटौती केवल इंटरनेट एक्सेस, इंटरनेट सामग्री और इंटरनेट एक्सेस से संबंधित इंस्टॉलेशन प्रभार है।

वर्ष 2006-07 से 2017-18 के वित्तीय विवरणों और टी सी एल के राजस्व समायोजन विवरणों की संवीक्षा से पता चला कि टी सी एल ने 2010-11 से 2013-14 के दौरान 'इंटरनेट सेवाओं से ₹1,032.28 करोड़ राजस्व' की राशि अर्जित की थी। इस राजस्व को टी सी एल द्वारा अपने सकल राजस्व में शामिल नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप लाइसेंस करार के अनुसार जी आर की परिभाषा का उल्लंघन करते हुए जी आर की कम रिपोर्टिंग हुई थी। इस प्रकार, वर्ष 2010-11 से 2013-14 के लिए टी सी एल द्वारा इंटरनेट सेवाओं से ₹1,032.28 करोड़ के राजस्व को जी आर में शामिल न करने के परिणामस्वरूप जी आर की रिपोर्टिंग कम हुई और परिणामस्वरूप एल एफ का ₹69.57 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

2.1.4.3 आई एल डी, एन एल डी और आई एस पी-आई टी लाइसेंसों के ए जी आर निकालने के लिए जी आर से अमान्य कटौती

यद्यपि डी ओ टी और टी सी एल के बीच विभिन्न लाइसेंस करार ने जी आर से कुछ कटौतियों की अनुमति नहीं दी, लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि टी सी एल ने आई एल डी, एन एल डी और आई एस पी-आई टी लाइसेंसों के ए जी आर प्राप्त करने के लिए जी आर से अमान्य कटौतियों का लाभ उठाया। 2006-07 से 2017-18 की अवधि के दौरान की गई ये कटौतियां जो संबंधित लाइसेंस करार के उल्लंघन में थीं, की नीचे चर्चा की गई हैं।

(i) आई एल डी लाइसेंस के मामले में अमान्य कटौती

आई एल डी लाइसेंस करार ए जी आर प्राप्त करने के लिए जी आर से कटौती करने का प्रावधान है, केवल कॉल प्रभार (एक्सेस प्रभार) वास्तव में कॉल के लिए अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को किये गये वास्तविक भुगतान, और सेवा के प्रावधान के लिए सेवा कर, और वास्तव में सरकार को भुगतान किये गये बिक्री कर जहां जी आर में ये कर शामिल थे। हालांकि, 2006-07 से 2017-18 की अवधि के लिए मैसर्स टी सी एल के संबंध में दूरसंचार

विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए डेटा/ अभिलेखों की समीक्षा से पता चला कि लाइसेंस समझौते के उल्लंघन में बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋण, पोर्ट प्रभार, लैंड लाइन का किराया, प्रशासन पट्टा प्रभार, अंतर्राष्ट्रीय बैंडविड्थ शुल्क, सैटेलाइट शुल्क के लिए किराया, डीओटी को रॉयल्टी और लाइसेंस शुल्क (डब्ल्यू पी सी शुल्क), लास्ट माइल/ एक्सेस शुल्क और डेटा लागत (आई पी एल सी), कंपनी द्वारा हिसाब में ₹360.58 करोड़ को एल एफ के उद्देश्य के लिए आईएलडी लाइसेंस के जी आर से घटा कर ए जी आर पर पहुंचें।

(ii) एन एल डी लाइसेंस के मामले में अमान्य कटौती

जी आर से ए जी आर प्राप्त करने के लिये "अन्य सेवा प्रदाताओं जिसका एन एल डी नेटवर्क लाइसेंसधारक के नेटवर्क से परस्पर जुडे हुए हैं को देय, पास थ्रू नेचर के कंपोनेंट पार्ट" से कटौती के लिये प्रावधान है।

टी सी एल की एन एल डी लाइसेंस राजस्व, दूरसंचार विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए के लिए 2006-07 से 2017-18 की अवधि का डेटा/ अभिलेखों की समीक्षा से पता चला कि "अशोध्य ऋण बट्टे खाते में डाले गये और पोर्ट प्रभार "अशोध्य ऋण बट्टे खाते में डाले गये और पोर्ट प्रभार" ₹122.91 करोड़ की राशि एल एफ के प्रयोजन के लिए ए जी आर प्राप्त करने के लिए जी आर से कटौती की गई थी जो लाइसेंस करार का उल्लंघन था।

(iii) आई एस पी-आई टी लाइसेंस के मामले में अमान्य कटौती

आई एस पी-आई टी लाइसेंस के मामले में डी ओ टी द्वारा उपलब्ध कराये गये 2006-07 से 2017-18 की अवधि के लिये टी सी एल के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि "अशोध्य ऋण बट्टे खाते" में डाले गये ₹54.27 करोड़ को लाइसेंस करार के उल्लंघन में ए जी आर प्राप्त करने हेतु जी आर से अनियमित रुप से काटा गया था।

मैसर्स टी सी एल द्वारा 2006-07 से 2017-18 की अवधि के दौरान आई एल डी, एन एल डी और आई एस पी-आई टी लाइसेंसों के ए जी आर प्राप्त करने के लिए जी आर से अस्वीकार्य कटौतियों के परिणामस्वरूप ₹537.76 करोड़ ए जी आर की कम गणना हुई और सरकार को ₹33.68 करोड़ के एल एफ की कम उगाही/ भुगतान हुआ।

2.1.5 डी ओ टी द्वारा मूल्यांकन

डी ओ टी द्वारा मूल्यांकन के संबंध में, डी ओ टी ने अपने प्रारंभिक उत्तर (सितंबर 2018) में बताया कि उसने प्रक्रिया शुरू कर दी थी जिसे वह मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट (सी ए जी की) और अपने स्वयं के निष्कर्षों पर लाइसेंसधारी के जवाब को ध्यान में रखते हुए पूरा करेगा।

इसके बाद अगस्त-सितंबर 2019 में, डी ओ टी ने 2006-07 से 2017-18 की अवधि के लिए टी सी एल के वार्षिक एल एफ बकाया का आकलन किया और लेखापरीक्षा प्रति के साथ एक मांग सह कारण बताओ नोटिस जारी किया। टी सी एल को जारी किए गए मांग सह कारण

बताओ नोटिस की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि डी ओ टी ने मैसर्स टी सी एल द्वारा जी आर की कम रिपोर्टिंग के कई उदाहरणों पर विचार नहीं किया था या ए जी आर की गणना करते समय कई अमान्य कटौतियों को अस्वीकार कर दिया था जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया गया था।

लेखापरीक्षा के अनुसार समेकित आंकड़ों और डी ओ टी द्वारा मूल्यांकन के बीच तुलना में कम रिपोर्टिंग **तालिका 2.2** में दिया गया है।

तालिका 2.2: लेखापरीक्षा और डी ओ टी द्वारा नोट किए गए जी आर/ ए जी आर की कम रिपोर्टिंग की तुलनात्मक स्थिति

(₹ करोड़ में)

मद		लेखापरीक्षा द्वारा इंगित जी आर से जी आर/अस्वीकार्य कटौतियों की रिपोर्टिंग के तहत		डी ओ टी द्वारा विचारित जी आर से रिपोर्टिंग/अस्वीकार्य कटौतियों के तहत		अंतर	
		ए जी आर	एल एफ	ए जी आर	एल एफ	ए जी आर	एल एफ
1	जी आर/ ए जी आर के लिए "दूरसंचार सेवाओं और अन्य/ विविध आय से राजस्व" पर विचार न करना	11,682.77	847.01	4,002.47	291.88	7,680.30	555.13
2	जी आर में इंटरनेट सेवाओं से राजस्व पर विचार न करना	1,032.28	69.56	शून्य	शून्य	1,032.28	69.56
3	मैसर्स टी सी एल द्वारा आई एल डी, एन एल डी और आई एस पी-आई टी लाइसेंसों के ए जी आर पर पहुंचने के लिए जी आर से अनियमित कटौती	537.76	33.68	222.82	13.37	314.94	20.31
कुल		**13,252.81**	**950.25**	**4,225.29**	**305.25**	**9027.52**	**645.00**

डी ओ टी ने संशोधित/ अद्यतन रिपोर्ट पर अपने उत्तर (दिसंबर 2020) में सूचित किया कि एल एफ के मूल्यांकन के लिए बार-बार स्मरण दिलाने के बावजूद मैसर्स टी सी एल ने मूल्यांकन के लिए एन एल डी/आई एल डी के संबंध में वर्ष 2006-07 से 2017-18 के लिए निर्धारित दस्तावेज जमा नहीं किए थे। तदनुसार, वित्त वर्ष 2006-07 से 2017-18 के लिए कटौती की पूरी राशि को अस्वीकार करते हुए अनंतिम मूल्यांकन किया गया था, और अगस्त/ सितंबर 2019 में मांगें जारी की गई थीं। इसने आगे कहा कि सी ए जी की मसौदा रिपोर्ट में उठाए गए बिंदु ध्यान में नहीं रखे जा सकते क्योंकि इस रिपोर्ट को इसके आकलन के जारी होने के समय अंतिम रूप नहीं दिया गया था। इसके अलावा, यह कंपनी के उत्तरों के आधार पर परिवर्तनों के अधीन भी था।

डी ओ टी ने यह भी कहा कि मैसर्स टी सी एल ने एन एल डी/आई एल डी के संबंध में वर्ष 2006-07 से 2017-18 के लिए तिमाही-वार, ऑपरेटर-वार कॉल प्रभार (एक्सेस प्रभार) का विवरण देते हुए निर्धारित सांविधिक लेखा परीक्षकों का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था, और इन वर्षों के पुनर्मूल्यांकन के लिए अनुरोध किया। इसने सूचित किया कि सी ए जी की रिपोर्ट में उठाए गए बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए, जहां भी लागू हो, देय ब्याज और जुर्माना के साथ एक अंतिम मांग मैसर्स टी सी एल को जारी की जाएगी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि जी आर/ ए जी आर के उद्देश्य से टी सी एल के वित्तीय विवरण और अन्य दस्तावेज डी ओ टी के पास पहले से ही उपलब्ध थे और लेखापरीक्षा ने केवल इन दस्तावेजों के आधार पर कम रिपोर्टिंग/ कम उगाही की गणना की है। अवधि के लिए एल एफ का अंतिम मूल्यांकन पहले ही विलंबित हो चुका था और अगस्त/ सितंबर 2019 तक पूरा हो जाना चाहिए था।

इस प्रकार, 2006-07 से 2017-18 की अवधि के लिए सकल राजस्व और समायोजित सकल राजस्व के लाइसेंसधारी टी सी एल द्वारा टी सी एल के लिए एल एफ के निर्धारण की लेखापरीक्षा में ₹13,252.81 करोड़ की कम रिपोर्टिंग और एल एफ की परिणामी कम उगाही ₹950.25 करोड़ थी। हालांकि, डी ओ टी द्वारा किए गए आकलन में जी आर और ए जी आर को ₹9,027.52 करोड़ से कम बताया गया। परिणामस्वरूप, डी ओ टी द्वारा टी सी एल से मांगा गया लाइसेंस प्रभार ₹645 करोड़ कम था।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि

डी ओ टी वित्तीय विवरणों और सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट जो कि टी सी एल द्वारा डी ओ टी को पहले ही प्रस्तुत कर दी गई है और लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर विचार करने के बाद मूल्यांकन को तत्काल अंतिम रूप दे सकता है। डी ओ टी अंतिम मांग नोटिस जारी कर सकता है और टी सी एल से लाइसेंस प्रभार की उगाही कर सकता है, जिसमे पहले से ही विलम्ब हो गया है।

2.2 माइक्रोवेव एक्सेस नेटवर्क और बैकहॉल नेटवर्क के लिए ई-बैंड और वी-बैंड में स्पेक्ट्रम के आवंटन/ सुपुर्दगी के संबंध में निर्णय लेने में अनुचित देरी

दूरसंचार विभाग ने ट्राई की सिफारिशों और मोबाइल संचार के बढ़ते घनत्व के कारण स्पेक्ट्रम की पर्याप्त मांग होने के बावजूद अपने पास उपलब्ध ई और वी-बैंड में माइक्रोवेव बैकहॉल नेटवर्क के लिए स्पेक्ट्रम के आवंटन/ सुपुर्दगी के लिए कोई निर्णय नहीं लिया। परिणामस्वरूप ई और वी-बैंड में स्पेक्ट्रम का उपयोग नहीं किया गया और सरकार को स्पेक्ट्रम और उपयोग शुल्क और ग्राहकों को बेहतर सेवाओं के मामले में इसका मुद्रीकरण आस्थगित कर दिया गया है। बहुत रूढ़िवादी आधार पर परित्यक्त अनुमानित राजस्व एक वाहक के स्पेक्ट्रम शुल्क से ₹67.53 करोड़ था और अकेले एक सर्किल के लिए वार्षिक अपेक्षित राजस्व ₹3.30 करोड़ था।

2.2.1 प्रस्तावना

मोबाइल नेटवर्क को एक्सेस स्पेक्ट्रम (अर्थात 2 जी, 3 जी और 4 जी) के माध्यम से मोबाइल हैंडसेट से बेस ट्रांसीवर स्टेशनों (बी टी एस) के रूप में ज्ञात सेल साइट तक, बैकहॉल नेटवर्क के माध्यम से सेल साइट से बेस स्टेशन कंट्रोलर्स (बी एस सी) एवं बैकबोन नेटवर्क के माध्यम से मोबाइल स्विचिंग केंद्रों और अन्य प्रमुख तत्वों के इंटरकनेक्शन में कनेक्टिविटी के रूप में देखा जा सकता है।

माइक्रोवेव बैकहॉल सेलुलर टेलीकॉम नेटवर्क का एक अभिन्न हिस्सा है जो बी टी एस को बीएससी से जोड़ता है। माइक्रोवेव (एम डब्ल्यू) फ्रिक्वेंसी को आम तौर पर 2x28 मेगाहर्ट्ज के टुकड़ों में निर्दिष्ट किया जाता है, जिन्हें एम डब्ल्यू कैरियर के रूप में जाना जाता है। एम डब्ल्यू कैरियर दो प्रकार के होते हैं अर्थात माइक्रोवेव एक्सेस (एम डब्ल्यू ए) कैरियर और माइक्रोवेव बैकबोन (एम डब्ल्यू बी) कैरियर। एमडब्ल्यूए कैरियर आमतौर पर 10 गीगाहर्ट्ज और उससे अधिक के आवृति बैंड में होते हैं। एम डब्ल्यू ए कैरियर आमतौर पर मोबाइल बैकहॉल नेटवर्क (मुख्य रूप से पूर्व-समूहीकरण भाग) में उपयोग किए जाते हैं और शॉर्ट-हॉल सिस्टम के लिए निर्दिष्ट किए जाते हैं जिनका उपयोग अपेक्षाकृत कम दूरी के माध्यम से ट्रैफ़िक ले जाने के लिए किया जाता है। एम डब्ल्यू बी कैरियर को अपेक्षाकृत लंबे लिंक 15 किमी की न्यूनतम लिंक लंबाई के लिए निर्दिष्ट किया गया है और पहाड़ी इलाकों में, इन्हें न्यूनतम लिंक लंबाई 10 किमी के लिए निर्दिष्ट किया गया है।

2.2.2 ट्राई की सिफारिशें

दूरसंचार विभाग के संदर्भ (नवंबर 2012) पर ट्राई ने माइक्रोवेव एक्सेस (एम डब्ल्यू ए) और माइक्रोवेव बैकबोन (एम डब्ल्यू बी) आर एफ कैरियर के आवंटन और मूल्य निर्धारण पर अपनी सिफारिशों (अगस्त 2014) में ***कहा कि ई और वी-बैंड के खुलने से बहुत कम दूरी पर नेटवर्क में भीड़भाड़ कम करने में मदद मिलेगी,*** जबकि 15/18/21 गीगाहर्ट्ज़ और अन्य बैंड अपेक्षाकृत लंबी दूरी पर उपयोग किए जाते रहेंगे। इन नए बैंडों का उपयोग अंतिम मील समाधान के रूप

में घने शहरी मार्गों के लिए तेजी से और किफायती प्रविस्तारण प्रदान करने के लिए किया जा सकता है क्योंकि इन आवृति बैंडों से सेवा प्रदाताओं के लिए कैपैक्स, ओपेक्स, मोबाइल साइटों के बीच व्यवधान में कमी और बैकहॉल समाधान प्रदान करने के लिए फाइबर आधारित सेवाओं पर दबाव कम होने की उम्मीद है। ***ट्राई ने अगस्त 2014 में सिफारिश की थी कि, "भारत में ब्रॉडबैंड की पहुंच बढ़ाने के लिए, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को आवंटन हेतु उच्च क्षमता वाले बैकहॉल ई-बैंड (71-76 / 81-86 गीगाहर्ट्ज़) और वी-बैंड (57-64 गीगाहर्ट्ज़) के उपयोग की संभावना खोजी जा सकती है।"***

2.2.3 राष्ट्रीय आवृति आवंटन योजना

राष्ट्रीय आवृति आवंटन योजना (एन एफ ए पी) 2011 में प्रावधान है कि 31.8-33.4 गीगाहर्ट्ज़, 37-40 गीगाहर्ट्ज़, 40.5-43.5 गीगाहर्ट्ज़, 51.4-52.6 गीगाहर्ट्ज़, 55.78-59 गीगाहर्ट्ज़ आवृति बैंड में 64-66 गीगाहर्ट्ज़ के साथ-साथ आवृति बैंड 71-76 गीगाहर्ट्ज़ और 81-86 गीगाहर्ट्ज़ आवृति विभाजन डुप्लेक्सिंग (एफ डी डी) और समय विभाजन डुप्लेक्सिंग (टी डी डी) के आधार पर उनके सह-अस्तित्व के अधीन उच्च क्षमता वाले घने नेटवर्क की आवश्यकताओं/उपयोग पर विचार किया जा सकता है।

एन एफ ए पी 2018 में प्रावधान है कि "बैंड 71-76 गीगाहर्ट्ज और 81-86 गीगाहर्ट्ज का उपयोग फिक्स्ड सर्विस (एफ एस) में हाई-डेंसिटी पॉइंट टू पॉइंट/ मल्टीपॉइंट लिंक के लिए किया जा सकता है, जो फिक्स्ड सैटेलाइट सर्विस (एफ एस एस) का भी ध्यान रखता है। यह आगे इंगित करता है कि "बैंड 57-64 गीगाहर्ट्ज का उपयोग हाई डेंसीटी पॉइंट टू पॉइंट/ मल्टीपॉइंट लिंक के लिए किया जा सकता है और बैंड में प्राथमिक के रूप में पहचानी गई अन्य सेवाओं का ख्याल रखते हुए अन्य एक्सेस एप्लीकेशन के लिए भी किया जा सकता है"।

2.2.4 राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018

राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति (एन डी सी पी) अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप उच्च क्षमता वाले बैकहॉल ई-बैंड (71-76/ 81-86 गीगाहर्ट्ज़) और वी-बैंड (57-64 गीगाहर्ट्ज़) स्पेक्ट्रम के प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देने का आह्वान करती है।

2.2.5 लेखापरीक्षा अवलोकन

2.2.5.1 ई-बैंड और वी-बैंड के आवंटन के लिए नीति को अंतिम रूप न देना

ई-बैंड और वी-बैंड में बहुत उच्च आवृति मिलीमीटर तरंगों के अनोखे संचरण गुण कम आवृति बैंड की तुलना में बहुत सरल आवृति समन्वय, व्यवधान शमन और पथ योजना को सक्षम बनाते हैं। ये मिलीमीटर तरंगें ब्रॉडबैंड की मांग को पूरा करने के लिए तुलनात्मक रूप से कम लागत पर प्रति बैकहॉल लिंक अधिक क्षमता में सहायक सिद्ध होगी। वी-बैंड में आगे के स्पेक्ट्रम का उपयोग बैकहॉल सेवाओं के लिए इसके उपयोग के अलावा 5 जी सेवाओं के लिए एक्सेस स्पेक्ट्रम के लिए किया जाना है।

इसलिए, मोबाइल माइक्रोवेव बैकहॉल नेटवर्क में अधिक क्षमता बनाने के लिए नए बैंड के उपयोग का पता लगाने की आवश्यकता है। भारत 5 जी सेवाओं को लॉन्च करने के लिए तैयार है जो माइक्रोवेव बैकहॉल नेटवर्क के लिए अधिक बैंडविथ की आवश्यकता वाले डेटा ट्रैफ़िक में तेजी से वृद्धि करेगा।

ट्राई ने ई-बैंड और वी-बैंड की चैनलिंग योजना की भी सिफारिश की (अगस्त 2014), जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

- ई-बैंड (71-76 गीगाहर्ट्ज़ और 81-86 गीगाहर्ट्ज़) के लिए चैनल बैंडविथ 250 मेगाहर्ट्ज होना चाहिए जिसमें प्रत्येक 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड के ऊपर और नीचे 125 मेगाहर्ट्ज का गार्ड बैंड हो। एक से अधिक चैनलों की अनुमति दी जा सकती है और समूहीकरण के लिए आवंटित किया जा सकता है।
- ई-बैंड (57-64 गीगाहर्ट्ज़) के लिए चैनल बैंडविथ 50 मेगाहर्ट्ज होना चाहिए जिसमें बैंड की शुरुआत में 100 मेगाहर्ट्ज गार्ड बैंड हो। एक से अधिक चैनलों की अनुमति दी जा सकती है और समूहीकरण के लिए आवंटित किया जा सकता है।

ई/ वी-बैंड की चैनलिंग करने के लिए ट्राई की सिफारिशों (अगस्त 2014), जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, के अलावा ट्राई ने बैकहॉल स्पेक्ट्रम[6] के लिए लगाए जाने वाले शुल्क/ दरों की भी सिफारिश की थी।

यह देखा गया कि दूरसंचार विभाग ने इन सभी वर्षों में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए ई बैंड/ वी बैंड खोलने के लिए ट्राई की सिफारिश पर कोई निर्णय नहीं लिया था। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर कि ई-बैंड और वी-बैंड टी एस पी को आवंटित/ सौंपे नहीं गए हैं, दूरसंचार विभाग ने कहा (जून 2021) कि भारत में ई-बैंड और वी-बैंड खोलने पर 2014 की ट्राई की सिफारिशों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

सी ए जी की 2018 की प्रतिवेदन संख्या 21 के **पैरा संख्या 2.1.10** में एक लेखापरीक्षा अवलोकन भी किया गया था, जिसमें यह सिफारिश की गई थी कि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टी एस पी) को माइक्रोवेव कैरियर का आवंटन बाजार से संबंधित प्रक्रिया के माध्यम से समान रूप से किया जाना चाहिए। दूरसंचार विभाग ने अपनी कार्रवाई रिपोर्ट में कहा (फरवरी 2021) कि बैकहॉल स्पेक्ट्रम सुपुर्दगी की कार्यप्रणाली के मुद्दे पर अंतिम निर्णय लंबित होने तक, दूरसंचार विभाग ने टी एस पी को बैकहॉल स्पेक्ट्रम सुपुर्दगी को सक्षम बनाने के लिए अंतरिम दिशानिर्देश जारी किए (अक्टूबर 2015)। **हालांकि, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, दूरसंचार**

[6] ई-बैंड कैरियर के लिए 250 मेगाहर्ट्ज के प्रत्येक कैरियर पर ₹10,000 प्रति वर्ष चार्ज किया जाना चाहिए और वी-बैंड कैरियर्स को ₹1,000 प्रति वर्ष प्रति कैरियर 50 मेगाहर्ट्ज के लिए चार्ज किया जाना चाहिए। एक से अधिक चैनलों की अनुमति दी जा सकती है और समूहीकरण के लिए आवंटित किया जा सकता है। इस बैंड में पहले कैरियर के आवंटन की तारीख से तीन साल के लिए 50 प्रतिशत की प्रारंभिक प्रचार छूट होनी चाहिए।

विभाग ने दिसंबर 2015 से बैकहॉल सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम सुपुर्दगी को अंतिम रूप नहीं दिया है।

2.2.5.2 सेवा प्रदाताओं को एम डब्ल्यू ए/ एम डब्ल्यू बी कैरियर के आवंटन/ सुपुर्दगी में विलंबन

दूरसंचार विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना (दिसंबर 2021) के अनुसार, 01 अप्रैल 2018 से 30 सितंबर 2021 के दौरान इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आई एस पी) से एम डब्ल्यू ए/ एम डब्ल्यू बी कैरियर सुपुर्दगी के लिए 23 आवेदन प्राप्त हुए थे और उपरोक्त 23 आवेदनों में से 19 आवेदन प्रक्रियाधीन थे और चार (4) आवेदन स्टाफ की कमी के कारण लंबित थे। दूरसंचार विभाग द्वारा यह भी उल्लेख किया गया था कि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टी एस पी) को (पुराने लाइसेंस की समाप्ति के बाद) एम डब्ल्यू ए/ एम डब्ल्यू बी कैरियर के पुन: सुपुर्दगी के लिए 98 आवेदन भी आवंटन/ सुपुर्दगी के लिए प्रक्रियाधीन/ लंबित थे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि एम डब्ल्यू ए/ एम डब्ल्यू बी कैरियर के आवंटन/ सुपुर्दगी में उपरोक्त विलंब टी एस पी को बैकहॉल सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम के आवंटन के संबंध में नीति को अंतिम रूप न देने के कारण राजस्व की संभावित हानि के साथ-साथ जरूरतमंद उपयोगकर्ताओं को बेहतर डेटा सेवाओं के अवसर की हानि हुई विशेष रूप से कोविड -19 महामारी के दौरान जब डेटा उपयोग की आवश्यकताएं तेजी से बढ़ीं।

इसके अलावा, प्रौद्योगिकी की प्रगति के मद्देनजर, आई एम टी अनुप्रयोगों के लिए नए बैंड की पहचान, एकीकृत एक्सेस बैकहॉल को अपनाने की संभावना, वाणिज्यिक सेवा प्रदाताओं (टी एस पी/ आई एस पी, आदि) को माइक्रोवेव बैकहॉल स्पेक्ट्रम (ई और वी-बैंड में स्पेक्ट्रम सहित) की सुपुर्दगी जहां कहीं संभव/ व्यवहार्य हो, बाजार संबंधी प्रक्रियाओं के माध्यम से की जा सकती है।

2.2.5.3 स्पेक्ट्रम नासुपुर्दगी के मौद्रिक निहितार्थ

वर्तमान में, एम डब्ल्यू एक्सेस नेटवर्क और सेल्युलर संचालन के लिए बैकबोन नेटवर्क के लिए स्पेक्ट्रम शुल्क राजस्व हिस्सेदारी के आधार पर (अर्थात, समायोजित सकल राजस्व (ए जी आर) का प्रतिशत), 18 अप्रैल 2002 से एम डब्ल्यू एक्सेस/ बैकबोन बैंडविथ के उपयोग के अनुसार लगाया गया था। सेलुलर नेटवर्क के लिए माइक्रोवेव एक्सेस/ बैकबोन स्पेक्ट्रम की इस प्रतिशत दर को डब्ल्यू पी सी द्वारा आगे संशोधित किया गया (03 नवंबर 2006 और 10 नवंबर 2008), जो आज की तारीख में प्रचलित है।

स्पेक्ट्रम शुल्कों[7] के लिए ए जी आर के 0.15 प्रतिशत की न्यूनतम दर को ध्यान में रखते हुए, ई एवं वी बैंड के **एक कैरियर** के लिए वार्षिक अपेक्षित राजस्व समस्त भारत के लिए

[7] डब्ल्यू पी सी के 03 नवंबर 2006/ 10 नवंबर 2008 के आदेश में माइक्रोवेव एक्सेस/ बैकबोन स्पेक्ट्रम के लिए निर्धारित अनुसार।

₹67.53 करोड़[8] (औसत ए जी आर यानी ₹45,021.45 करोड़[9] के आधार पर) बनता है। यह केवल एक सांकेतिक आंकड़ा है, प्रत्येक टी एस पी को एक से अधिक कैरियर की आवश्यकता हो सकती है।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि अन्य उपयोगकर्ताओं (अर्थात आई एल डी, एन एल डी, कैप्टिव उपयोगकर्ता आदि) के लिए माइक्रोवेव एक्सेस/ बैकबोन स्पेक्ट्रम के लिए स्पेक्ट्रम शुल्क फॉर्मूला आधार[10] पर लगाए गए थे। संपूर्ण सर्किल (यानी, नेटवर्क दूरी > 500 किलोमीटर) के लिए बैंडविड्थ कारक और रॉयल्टी कारक के न्यूनतम मूल्य को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक कैरियर के लिए वार्षिक अपेक्षित राजस्व समस्त भारत के लिए ₹3.30 करोड़[11] हो सकता है। गणना रूढ़िवादी आधार पर की गई है और उपयोगकर्ताओं को आवंटित बैंडविड्थ के आधार पर अपेक्षित राजस्व अधिक हो सकता है। इसके अलावा, अपनाए गए ए जी आर आंकड़े टी एस पी की स्व-घोषणा पर आधारित हैं जो अलेखापरीक्षित हैं।

दूरसंचार विभाग ने कहा (सितंबर 2021) कि ई-बैंड और वी-बैंड में माइक्रोवेव बैकहॉल नेटवर्क के लिए स्पेक्ट्रम के आवंटन/ सुपुर्दगी की नीति "मानक और पारदर्शी सुपुर्दगी/ स्पेक्ट्रम के प्राधिकरण के लिए नीति" का हिस्सा थी जो विचाराधीन थी।

विभाग का उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि ट्राई ने (2014) में सिफारिश की थी कि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को आवंटन हेतु उच्च क्षमता वाले बैकहॉल ई-बैंड (71-76/ 81-86 गीगाहर्ट्ज़) और वी-बैंड (57-64 गीगाहर्ट्ज़) के उपयोग की संभावना खोजी जा सकती है और सिफारिशों पर अंतिम निर्णय तब से केवल दूरसंचार विभाग की ओर से लंबित था। इसके बाद, दूरसंचार विभाग द्वारा नियुक्त सचिवों की समिति ने भी सिफारिश की (अक्टूबर 2020) कि वाई-फाई/ सार्वजनिक वाई-फाई, फिक्स्ड लिंक आदि के लिए डीओटी के पास 57-66 गीगाहर्ट्ज बैंड पूरी तरह से उपलब्ध था।

इस प्रकार, ट्राई की सिफारिशों और स्पेक्ट्रम की मौजूदा मांग के बावजूद दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ-साथ इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को ई-बैंड (71-76/ 81-86 गीगाहर्ट्ज़) और वी-बैंड (57-64 गीगाहर्ट्ज़) में माइक्रोवेव बैकहॉल नेटवर्क के लिए स्पेक्ट्रम के

---

[8] प्रत्येक कैरियर के लिए वार्षिक अपेक्षित राजस्व = ₹45021.45 करोड़ (औसत ए जी आर) x 0.15/100 = ₹67.53 करोड़।

[9] वित्त वर्ष 2020-21 के लिए प्रमुख दूरसंचार ऑपरेटरों का एजीआर है - (i) भारती एयरटेल लिमिटेड / भारती हेक्साकॉम लिमिटेड ₹45,242.98 करोड़, (ii) रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड - ₹64,779.51 करोड़ और (iii) वोडाफोन आइडिया लिमिटेड - ₹25,041.86 करोड़ (स्रोत: ट्राई वित्तीय रिपोर्ट) और इसलिए, औसत एजीआर = ₹45,021.45 करोड़।

[10] वार्षिक रॉयल्टी = $\sum_{i=1}^{n} M_i \times W$, जहां n = कैरियर की संख्या, W बैंडविड्थ कारक है और M रॉयल्टी चार्ज कारक है जो उस दूरी पर निर्भर करता है जिस पर नेटवर्क संचालित होगा

[11] प्रत्येक कैरियर के लिए वार्षिक अपेक्षित राजस्व = 30 (बैंडविथ कारक का न्यूनतम मूल्य) x ₹ 50000 (नेटवर्क दूरी के लिए रॉयल्टी कारक > 500 किलोमीटर) x 22 सर्किल = ₹ 3.30 करोड़।

आवंटन/ सुपुर्दगी के लिए कोई निर्णय नहीं लिया। इस प्रकार सरकार ने बिना बिके स्पेक्ट्रम और उपयोग शुल्क के मुद्रीकरण लाभों को छोड़ दिया और ग्राहकों को बेहतर गुणवत्ता और उच्च स्तरीय सेवाओं के लाभों से भी वंचित कर दिया।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि

दूरसंचार विभाग ट्राई के परामर्श से मोबाइल संचार, आई एस पी सेवा प्रदाताओं को सहायता प्रदान करने और 5 जी सेवाओं की प्रभावी शुरुआत के लिए माइक्रोवेव एक्सेस और बैकहॉल नेटवर्क के लिए ई-बैंड (71-76/81-86 गीगाहर्ट्ज़) और वी-बैंड (57-64 गीगाहर्ट्ज़) में स्पेक्ट्रम के आवंटन/सुपुर्दगी पर शीघ्र निर्णय ले सकता है। यह न केवल अनावंटित ई-बैंड और वी-बैंड का मुद्रीकरण करेगा, बल्कि सरकार को स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क भी प्रदान करेगा जिसके परिणामस्वरूप इन स्पेक्ट्रम बैंडों का प्रभावी उपयोग होगा, जिससे ग्राहकों को दी जाने वाली सेवा की गुणवत्ता में सुधार होगा।